

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (एल-65) अलेसे- I/6925-34

दिनांक:- 27-07-15

कार्यालय आदेश

शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, जयपुर द्वारा वित्त राजस्व विभाग, शासन सचिवालय को प्रेषित टिप्पणी क्रमांक 1776/PS/ SWR/ SWRPD/IGND दिनांक 06.07.2015 द्वारा श्री लक्ष्मीनारायण लावडिया, सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड-प्रथम, कार्यालय मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, जयपुर के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित किये जाने के फलस्वरूप उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का विचार है।

अतः राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्न हस्ताक्षरकर्ता एतद् द्वारा उक्त श्री लावडिया, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-प्रथम को तुरन्त प्रभाव से निलम्बित करते हैं। निलम्बन काल के दौरान श्री लावडिया, सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड-प्रथम को राजस्थान सेवा नियम 53 के अनुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।

निलम्बन काल के दौरान उक्त श्री लावडिया, का मुख्यालय कोषालय जयपुर (शहर) जयपुर रहेगा तथा वे अपनी उपस्थिति प्रतिदिन उपरोक्त कार्यालय में देंगे।

(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.2 (क) (एल-65) अलेसे- I/6925-34

दिनांक:- 27-07-15

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, राजस्थान जयपुर
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, सचिवालय, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प. 2 (3) वित्त/राजस्व/10 दिनांक 13.07.2015 के क्रम में
3. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि श्री लक्ष्मीनारायण लावडिया, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु आरोप पत्र/आरोप विवरण मय प्रपत्र अ, ब, स एवं द एवं आरोप को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज के साथ इस विभाग को भिजवाने को भिजवाने का श्रम करावे।
4. कोषाधिकारी, जयपुर (शहर)
5. श्री लक्ष्मीनारायण लावडिया, सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड-प्रथम, कार्यालय मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, जयपुर
6. वरिष्ठ निजी सहायक निदेशक महोदय
7. एसीआर/जांच/निजी पत्रावली/ गार्ड फाइल

(के.एम. भीणा)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)